प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6098 / 2009

याचिकाकर्ता : के. सुंदर राज.

बनाम

उत्तरवादीगण : भारत संघ और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सतीश के. अग्निहोत्री

माननीय न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा

मैं सहमत हूँ

सही /-

आर.एस. शर्मा

निर्णय दिनांक 18.07.2011 को सुनाए जाने हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही /-

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6098 / 2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : के. सुंदर राज.

बनाम

उत्तरवादीगण : भारत संघ और अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

कोरम : माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री तथा

माननीय न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा

उपस्थित :

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रमोद वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित राघवेंद्र वर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से : सुश्री नौशिना अफरीन अली, अधिवक्ता ।

निर्णय

(आज दिनांक 18.07.2011 को दिया गया)

सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश के अनुसार

1. इस याचिका में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर द्वारा मूल आवेदन संख्या 748 / 2008 में दिनांक 17.12.2008 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी / 1) को चुनौती दी गई है । इसके अतिरिक्त, उत्तरवादीगण को दिनांक 19.11.1990 से दिनांक 30.06.2004 की अवधि के लिए सभी भत्तों सहित पूर्ण बकाया वेतन ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के मैकेनिकल बिल अनुभाग में वरिष्ठ क्लर्क के रूप में कार्यरत था, पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) के साथ धारा 5(1) और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 161 के तहत दिनांक 21.05.1985 को सुखचंद से 100 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था । याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.1990 को विशेष मामला संख्या 161 / 1984 में दोषी ठहराया गया

था । विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर याचिकाकर्ता को दिनांक 19.11.1990 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । इसके बाद, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में दण्डिक अपील संख्या 979 / 1980 में अपील दायर की । उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.07.2006 को याचिकाकर्ता को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । दोषमुक्त होने के बाद, दिनांक 19.01.1990 के बर्खास्तगी आदेश को दिनांक 21.04.2007 को रद्द कर दिया गया । याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल नहीं किया जा सका क्योंकि वह दिनांक 30.06.2004 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया था । याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर, बिलासपुर स्थित श्रृंखला न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अनुतोषो की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "उत्तरवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे आवेदक को पूर्ण वेतन और भत्तों ब्याज सहित भुगतान करें, जिसके वे हकदार होते यदि उन्हें बर्खास्त न किया गया होता, अर्थात् दिनांक 19.11.1990 से दिनांक 30.06.2004 की अवधि के लिए ।"

3. न्यायाधिकरण ने यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम जयपाल सिंह (2004) 1 एससीसी 121 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए माना कि याचिकाकर्ता दिनांक 19.11.1990 से दिनांक 30.06.2004 तक पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार नहीं था ।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रमोद वर्मा, श्री राघवेंद्र वर्मा, विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए । उन्होंने तर्क दिया कि जयपाल सिंह मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को इस मामले के तथ्यों पर ठीक से लागू नहीं किया गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 4 में कहा था कि यदि अभियोजन, जिसके परिणामस्वरूप अंततः संबंधित व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया, स्वयं विभाग के कहने पर या विभाग द्वारा चलाया गया था, तो शायद अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं । दूसरी ओर, यदि कोई कर्मचारी या लोक सेवक एक नागरिक के रूप में किसी दण्डिक मामले में शामिल हो जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा प्रारंभिक दोषसिद्धि के बाद अपील में उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो विभाग को उसे सेवा से बाहर रखने के लिए किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कानून किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को सेवा से बाहर रखने के लिए बाध्य करता है, न कि सेवा में बनाए रखने के लिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. श्री वर्मा ने आगे यह तर्क दिया कि उत्तरवादी / विभाग की संबंधित अभियोजन प्रक्रिया में भूमिका थी क्योंकि 'मंजूरी' अधिकारियों द्वारा दी गई थी । उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि यदि विभाग की अभियोजन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं थी, तो विभाग पर बकाया वेतन का भुगतान करने का दायित्व नहीं बनता । लेकिन, इस मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता का

अभियोजन मंजूरी मिलने के बाद आगे बढ़ा, जिसमें अधिकारियों ने मंजूरी देने से पहले विचार किया था और मंजूरी के बिना याचिकाकर्ता को मुकदमे की कठोर प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया, इसलिए उत्तरवादी / विभाग सभी बकाया वेतन और भत्तों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादियों की ओर से पेश हुईं विद्वान अधिवक्ता सुश्री नौशीना अफरीन अली ने तर्क दिया कि मुकदमे की लंबितता के कारण याचिकाकर्ता को कानूनी रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । याचिकाकर्ता को रंगे हाथों पकड़ा गया था और इसलिए उस पर दण्डिक मामला दर्ज किया गया था । यह मुकदमा उत्तरवादियों के इशारे पर नहीं चलाया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता को सीबीआई अधिकारियों द्वारा बनाए गए एक गुप्त दल ने रंगे हाथों पकड़ा था । शिकायतकर्ता सुखचंद, जो करंजी रेलवे स्टेशन पर फिटर ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत थे, ने लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी । यह मुकदमा याचिकाकर्ता द्वारा रिश्वत के रूप में पैसे की कथित मांग के कारण चलाया गया था । अधिकारियों द्वारा मंजूरी देना इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता कि यदि मंजूरी न दी गई होती तो मामला आगे न बढ़ता । इसलिए, विभाग को बकाया वेतन के भुगतान का दायित्व वहन करना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्रीमती अली ने आगे यह तर्क दिया कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी, अर्थात् बिलासपुर के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी । अतः, उच्च न्यायालय से दोषमुक्त होने के बाद याचिकाकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि अभियोजन विभाग के इशारे पर किया गया था या विभाग की इसमें कोई भूमिका थी । इसलिए, याचिकाकर्ता आरोपों से दोषमुक्त होने के बाद बकाया वेतन पाने की हकदार है । उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि मंजूरी के प्रावधान जिम्मेदार अधिकारियों को द्वेषपूर्ण अभियोजन से बचाने के लिए सबसे कारगर सुरक्षा उपाय हैं । हालांकि, जब गहन विचार-विमर्श के बाद यह पाया गया कि कथित अपराध इस मामले के तथ्यों के अनुसार गंभीर प्रकृति का था, तो अधिकारियों द्वारा मंजूरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता था । सुश्री अली ने के. वीरा स्वामी बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 655, जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1958 एससी 124 (वी 45 सी 19), विश्वभूषण नायक बनाम उड़ीसा राज्य एआईआर 1954 एससी 359, गोकुलदास मोरारका बनाम राजा एआईआर 1948 पीसी 82, मदन मोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1954 एससी 637, मोहम्मद इकबाल अहमद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एआईआर 1979 4 एससी 172, आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले एआईआर 1984 एससी 684, इंगुवा मल्लिकार्जुन शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1978 सीआरएलजे 1153,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माताजोग दुबे बनाम बिहार उच्च न्यायालय एआईआर 1956 एससी 44, सी.एस. कृष्ण मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (2005) 4 एससीसी 81, प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2007) 1 एससीसी 1, मध्य प्रदेश राज्य बनाम हरिशंकर भगवान प्रसाद त्रिपाठी (2010) 8 एससीसी 655, बंशीधर बनाम राजस्थान राज्य (2007) 1 एससीसी 324 और भारत संघ बनाम जयपाल सिंह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है ।

8. तथ्य निर्विवाद हैं । हमारे विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या किसी कर्मचारी के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करना, विभाग के इशारे पर अभियोजन के बराबर है या क्या विभाग की कर्मचारी के अभियोजन में कोई भूमिका है । सर्वोच्च न्यायालय ने जयपाल सिंह मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "4...यदि अभियोजन, जिसके परिणामस्वरूप अंततः संबंधित व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया, विभाग के इशारे पर या स्वयं विभाग द्वारा चलाया गया था, तो शायद अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं । दूसरी ओर, यदि एक नागरिक के रूप में कर्मचारी या लोक सेवक किसी दण्डिक मामले में शामिल हो जाता है और प्रारंभिक अदालत द्वारा दोषसिद्धि के बाद, उसे बाद में अपील में दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो विभाग को उसे सेवा से बाहर रखने

के लिए किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कानून के अनुसार, किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को सेवा से बाहर रखा जाना चाहिए और उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए । परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए निर्णय में दिए गए कारण न केवल ठोस हैं, बल्कि तर्कसंगत भी हैं । यद्यपि आदेश के उस भाग पर आपत्ति उठाई गई है जिसमें पुनः नियुक्ति का निर्देश दिया गया है, और यह आपत्ति मान्य नहीं है, और उत्तरवादी को सेवा में पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पूर्व बर्खास्तगी केवल दण्डिक कार्यवाही और दोषसिद्धि के कारण थी, फिर भी अपीलकर्ताओं को उत्तरवादी को उस अवधि के लिए बकाया वेतन देने से इनकार करने का पूरा अधिकार है, जिस अवधि में वह सेवा में नहीं था । अपीलकर्ताओं को उस अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जिसके लिए वे उत्तरवादी की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सके । हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने सभी सुसंगत पहलुओं और विचारों पर विचार किए बिना बकाया वेतन देने में गंभीर त्रुटि की है । परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का वह आदेश जिसमें बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश दिया गया है, आपास्त किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा आपास्त किया जाता है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री वर्मा का यह तर्क कि याचिकाकर्ता के अभियोजन में उत्तरवादी की भूमिका थी, इसलिए उत्तरवादियों की यह जिम्मेदारी है कि वे बकाया वेतन का भुगतान करें, स्वीकार्य नहीं है । जयपाल सिंह मामले में, 'विभाग / सरकार की भूमिका' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या अभियोजन स्वयं विभाग के निर्देश पर किया गया था । इस मामले में, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन उत्तरवादी / विभाग के निर्देश पर किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता को सीबीआई अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ा था और सीबीआई याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध के लिए अभियोजन एजेंसी थी । यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह उत्तरवादियों के निर्देश पर किया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. प्रकाश सिंह बादल और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति की आवश्यकता और स्वीकृति की अनिवार्यता पर निम्नलिखित टिप्पणी की :

> "20. उन्मुक्ति का सिद्धांत उन सभी कार्यों की रक्षा करता है जो लोक सेवक को सरकार के कार्यों के निष्पादन में करने पड़ते हैं । जिन उद्देश्यों के लिए ये कार्य किए जाते हैं, वे उन्हें दण्डिक अभियोजन से बचाते हैं । हालांकि, एक अपवाद है । यदि कोई दण्डिक कृत्य अधिकार की आड़ में किया जाता है, लेकिन वास्तव

में वह लोक सेवक की अपनी खुशी या लाभ के लिए होता है, तो ऐसे कृत्यों को राज्य उन्मुक्ति के सिद्धांत के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा ।"

11. राज्य द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो महाराष्ट्र, बॉम्बे बनाम कृष्णचंद खुशालचंद जगतानी के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणी की :

"8.....यह याद रखना चाहिए कि धारा 6(1)(सी) या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का उद्देश्य लोक सेवक का अनावश्यक उत्पीड़न रोकना है; इसका उद्देश्य लोक सेवक को उस उत्पीड़न से बचाना है जो उसे तब हो सकता है जब प्रत्येक पीड़ित या असंतुष्ट व्यक्ति को उसके विरुद्ध दण्डिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए । यह संरक्षण राज्य एजेंसी द्वारा अभियोजन से भी प्राप्त है, लेकिन यह संरक्षण पूर्ण या बिना शर्त नहीं है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जसवंत सिंह मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी के उद्देश्य को निम्नानुसार परिभाषित किया :

"4... प्रतिबंधों के प्रावधान का उद्देश्य यह है कि प्रतिबंध देने वाला प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्वयं साक्ष्यों पर विचार करने में सक्षम होना चाहिए कि परिस्थितियों में अभियोजन को स्वीकृत या निषिद्ध किया जाए ।"

13. यह मंजूरी अंतिम निर्णय नहीं है और न ही यह माना जा सकता है कि मंजूरी देने में उत्तरवादियों की कोई भूमिका थी । मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने अपने समक्ष प्रस्तुत सुसंगत तथ्यों, सामग्री और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विवेक का प्रयोग किया । प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्या अभियोजन का उद्देश्य जनता को परेशान करना था या अभियोजन के लिए कोई ठोस आधार था । इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से वह अधिकारियों द्वारा या उनके इशारे पर अभियोजन की परिभाषा के अंतर्गत आता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. पी. रामनाथ अय्यर की एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, तृतीय संस्करण, 2005 में 'अभियोजन' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

> "अभियोजन किसी दण्डिक कार्यवाही की शुरुआत या आरंभ है, जिसमें किसी अपराधी के विरुद्ध विधिक न्यायाधिकरण के समक्ष औपचारिक आरोप लगाये जाते हैं और अभियोग पत्र या सूचना के माध्यम से राज्य या सरकार की ओर से अंतिम निर्णय तक उन आरोपों को आगे बढ़ाया जाता है । अभियोजन तब तक जारी रहता है जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय, अर्थात् सजा, उनमोचन या दोषमुक्ति, नहीं हो जाता ।"

15. स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 64 के संदर्भ में 'अभियोजन' शब्द का अर्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने तक की संपूर्ण कार्यवाही है । (देखें जसबीर सिंह बनाम विपिन कुमार जग्गी, (2001) 8 एससीसी 289)

16. ब्लैक लॉ डिक्शनरी के आठवें संस्करण में 'अभियोजन' शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :

> "1. किसी भी कार्रवाई या योजना का प्रारंभ और क्रियान्वयन < एक लंबे, खूनी युद्ध का अभियोजन > 2. एक दण्डिक कार्यवाही जिसमें किसी आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है < षड्यंत्र के मुकदमे में सात उत्तरवादियों पर मुकदमा चलाया गया > । - इसे दण्डिक अभियोजन भी कहा जाता है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. चैम्बर्स 21वीं सेंचुरी डिक्शनरी में, "एट द बिहेस्ट" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

> "बिहेस्ट संज्ञा, औपचारिक या पुराने प्रयोग में एक आदेश या अनुरोध । किसी के कहने पर या किसी के कहने पर; जब उन्होंने मांगा या आदेश दिया । 12वीं शताब्दी : एंग्लो - सैक्सन शब्द "बेहेस" से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है प्रतिज्ञा या वादा ।"

18. पी. रामनाथ अय्यर की एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, तीसरा संस्करण, 2005 में 'किसी के कहने पर' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

'किसी के कहने पर । किसी के आग्रह पर ।'

इसका अर्थ है 'किसी के कहने पर या किसी के अनुरोध पर ।' 'किसी के कहने पर' का अर्थ 'आदेश' के समान आज्ञापालन का दायित्व नहीं है । यदि कोई व्यक्ति विद्युत बोर्ड की ओर से या उसके लिए कार्य करते हुए विद्युत ऊर्जा के अवैध दोहन के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है, तो अभियोग को बोर्ड के कहने पर ही शुरू किया गया माना जाएगा । कर्नाटक राज्य बनाम आदिमूर्ति, **AIR** 1983 **SC** 822 ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इस मामले में, स्वीकृति प्रदान करने की वैधता पर कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए यह जांच करना आवश्यक नहीं है कि स्वीकृति सही ढंग से प्रदान की गई थी या नहीं । अतः, यह प्रश्न कि क्या उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा दी गई स्वीकृति का अर्थ 'अभियोजन या अधिकारियों के इशारे पर अभियोजन' था, का उत्तर नकारात्मक है । इस मामले में एक छापा मारा गया और कर्मचारी / याचिकाकर्ता को सीबीआई अधिकारियों द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया तथा अभियोजन सीबीआई द्वारा और सीबीआई के इशारे पर किया गया, न कि रेलवे अधिकारियों द्वारा । याचिकाकर्ता ने यह साबित नहीं किया है कि वह रेलवे अधिकारियों के कारण सेवा से बाहर था । अतः, वह पिछले वेतन के भुगतान का हकदार नहीं है ।

20. बंशीधर मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों से दोषमुक्त किए गए कर्मचारी के मामले में बकाया वेतन देने पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

> 9. बकाया वेतन देने के संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता । प्रत्येक मामले का निर्धारण उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए । उन पर दण्डिक कदाचार का गंभीर आरोप लगाया गया था । विशेष न्यायाधीश द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों में उन्हें दोषी पाया गया । उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.01.2001 को एस.बी. दण्डिक अपील संख्या 68 / 1985 में अपना निर्णय सुनाते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं रहा है कि उनके द्वारा कोई मांग की गई थी ।
>
> 10. यह अब एक सर्वमान्य विधि है कि दोषमुक्ति का निर्णय ही उन्हें उन पर लगे आरोपों से मुक्त नहीं कर देगा । उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा सकती थी । (देखें प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलोर बनाम एस. मणि और अन्य और पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली बनाम नरेंद्र सिंह)
>
> 13. औद्योगिक विवादों के संबंध में भी, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह माना है कि भले ही संबंधित कामगार के विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पारित बर्खास्तगी आदेश अमान्य पाया गया हो, फिर भी स्वतः ही पिछला वेतन देना आवश्यक नहीं है । (यूपी स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम उदय नारायण पांडे और नगर परिषद सुजानपुर बनाम सुरिंदर कुमार)

21. रणछोड़जी चतुरजी ठाकोर बनाम अधीक्षक अभियंता, गुजरात बिजली बोर्ड, हिम्मतनगर (गुजरात) और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकित किया :-

"3. पिछले वेतन का प्रश्न तभी विचारणीय होगा जब उत्तरवादियों ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की हो और वह कार्रवाई कानून की दृष्टि से अनुचित पाई गई हो तथा उन्हें विधिविरुद्ध रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया हो । उस स्थिति में उनका आचरण सुसंगत हो जाता है । प्रत्येक मामले पर उसके अपने संदर्भ में विचार किया जाना आवश्यक है । इस मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता एक अपराध में शामिल था, हालांकि बाद में उसे दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन दोषसिद्धि और जेल में कारावास के कारण वह सेवा प्रदान करने में असमर्थ हो गया था । इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता पिछले वेतन के भुगतान का हकदार नहीं है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अधिकरण का निर्णय न्यायसंगत और उचित है तथा इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

23. परिणामस्वरूप, हम याचिका में कोई सार नहीं पाते है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है ।

24. वाद-व्यय के संबंध मे कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

. सही /- सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.